एक नजर में

माता सीता पर आधारित नाटक का मंचन कल

इंदौर . शहर कला और समाजसेवा का संगम बनने जा रहा है . आगामी

12 अक्टूबर, शाम 5 बजे लाभ मंडपम में कलाकार अंजना चांडक द्वारा एकल नाटक 'माता सीता' का मंचन किया जाएगा . यह प्रस्तुति संस्था 'ऑलवेज हैप्पी हेल्पिंग हैंड्स' द्वारा आयोजित एक फंडरेज़र कार्यक्रम है . इस नाट्य प्रस्तुति में अंजना चांडक, देवी माता सीता के भावों और उनके अंतर्मन की गहराई को मंच पर सजीव करेंगी . कार्यक्रम से प्राप्त राशि संस्था द्वारा गरीब महिलाओं और बच्चों की शिक्षा एवं सशक्तिकरण पर खर्च की जाएगी . `संस्था ने इससे पहले महू के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में तीन नए कक्षों का निर्माण कराया था, साथ ही मूसाखेड़ी के सरकारी स्कूल में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब का निर्माण भी कराया गया था . इसके अतिरिक्त, संस्था ने स्कूल परिसर में 3000 वर्गफीट का शेड बनवाया और चार कंप्यूटर भी उपलब्ध कराए हैं . 'ऑलवेज हैप्पी हेल्पिंग हैंड्स' की साधना टोडी ने बताया कि संस्था महिलाओं के लिए नि :शुल्क सिलाई और ब्यूटी पार्लर कोर्स भी संचालित कर रही है, ताकि उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें और वे आत्मनिर्भर बन सकें। भविष्य में संस्था द्वारा कंप्यूटर और अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स भी शुरू किए जाने की योजना है . इस अवसर पर अल्पना भंडारी, संगीता अग्रवाल, रचना मित्तल और मधु चौधरी ने बताया कि संस्था का उद्देश्य शिक्षा, प्रशिक्षण और सहायता के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना है .

राष्ट्रीय शिक्षक सम्मेलन के लिए डॉ . आरती चयनित

इंदौर . दिल्ली पब्लिक स्कूल राऊ, इंदौर ने एक बार फिर अपनी शैक्षणिक

उत्कृष्टता का परचम लहराया है . स्कूल की विज्ञान विभागाध्यक्ष ने अपनी शोध-चालित पहल मायकोस्टेम : फार्मिंग फॉर फ्यूचर स्किल्स एंड रीबूटिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर के साथ राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है . प्रिंसिपल आशा नायर के कुशल मार्गदर्शन और दूरदर्शिता के तहत, डॉ . आरती चौहान की इस पहल को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षक सम्मेलन एनटीसी-2025, पटना में मौखिक प्रस्तुति के लिए चुना गया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है . उल्लेखनीय है कि उनका प्रोजेक्ट 11,000 प्रविष्टियों में से 415 शॉर्टलिस्टेड प्रोजेक्ट्स में से शीर्ष 8 में से एक था . यह उपलब्धि राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति, दिल्ली द्वारा स्टेम शिक्षा और सतत अभ्यास उप-थीम के तहत मान्यता प्राप्त है, जो कि डॉ . चौहान की विशेषज्ञता और स्कूल की नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है .

डॉ . श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय होम्योपैथी सीएमई में दिया व्याख्यान

इंदौर . श्री शामलाजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, गोधरा में राष्ट्रीय स्तर की 6 दिवसीय सीएमई का आयोजन किया गया .

इसमें महू शहर के ख्यात होम्योपैथी चिकित्सक एवं प्रोफेसर डॉ . अनुपम श्रीवास्तव ने कम्युनिटी केस टेकिंग स्किल्स एंड टेक्निक्स विषय पर अपना सारगर्भित संबोधन दिया . मध्य भारत के एकमात्र होम्योपैथी में पीएचडी डिग्री धारक शिक्षक एवं चिकित्सक डॉ . अनुपम श्रीवास्तव के व्याख्यान को देशभर से आए शिक्षकों एवं चिकित्सकों ने सराहा . उन्होंने अपने सम्बोधन में समुदाय स्तर पर होम्योपैथिक केस टेकिंग के व्यवहारिक पक्ष, चुनौतियों तथा समाधान पर विस्तार से प्रकाश डाला . उन्होंने युवाओं को शिक्षा और चिकित्सा में शोधपरक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया . इस अवसर पर सामाजिक विचार मंच परिवार, कायस्थ समाज महू,पीथमपुर, राऊ, रोटरी क्लब महू, होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन ऑफ महू एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं सहित शहर के गणमान्य नागरिकों एवं वरिष्ठ चिकित्सकों ने उन्हें हार्दिक बधाई दी .

कैंडल मार्च निकालकर मृतक बच्चों को दी श्रद्धांजलि

महू . मिलावटी सीरप पीने से पिछले दिनों मौत के मुंह में समाए 21 बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस द्वारा इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश भर में शांति कैंडल मार्च निकाला गया . प्रदेश कांग्रेस के आव्हान पर महू शहर एवं ब्लॉक कांग्रेस द्वारा भी कैंडल मार्च निकाला गया . कैंडल मार्च ड्रीमलैंड चौराहा नेहरू प्रतिमा से प्रारंभ हुआ, जो कोतवाली चौराहा स्थित गांधी प्रतिमा पर समाप्त हुआ . इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ईश्वर से भ्रष्ट भाजपा सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की . इस अवसर पर कैंडल मार्च प्रभारी प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव शक्ति सिंह गोयल, महू शहर कार्यवाहक अध्यक्ष पप्पू खान, महू ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विष्णु मालवीय,शहर कांग्रेस महामंत्री राजकुमार बागड़ी, पुनीत शर्मा, गजेंद्र सिंह राठौड़, वरिष्ठ गोविंद शर्मा, जगदीश राठौर, अजय सिंह धनावत, मुस्ताक खान, ओम पटेल, हरिराम चौहान, हुकम आंजना, विवेक सकोरिया, नरेश जोशी, सद्दाम पटेल, जगमोहन सोन, अशोक चौहान, शुभम जैन, कमल धानुक, दिनेश पंचोली, इरशाद कुरैशी, अकबर खान, मुन्नालाल वर्मा सहित अनेक कांग्रेसी मौजूद थे . सिमरोल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अशोक सैनी के नेतृत्व में 21 मासूम बच्चों की कफ सिरप पीने से हुई दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के विरोध में कैंडल मार्च निकाल कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी=के आव्हान पर सिमरोल में आयोजित कैंडल मार्च छिंदवाड़ा में 21 मासूम बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित की .

मराठी व्यंजनों का हजारों लोगों ने लिया लुत्फ

- जत्रा की धमाकेदार शुरुआत, पहले दिन ही उमड़ा जनसैलाब
- रजत जयंती वर्ष उत्सव शुरू

इंदौर. मराठी सोशल ग्रुप द्वारा इंदौर के पोत्दार प्लॉजा में आयोजित जत्रा के पहले दिन ही स्वाद और संस्कृति प्रेमियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा. रजत जयंती वर्ष होने जत्रा 4 दिनों का रहेगा. इसका औपचारिक शुभारंभ संभागायुक्त सुदाम खाड़े, सांसद शंकर लालवानी, मिलिंद दांडेकर सहित अन्य अतिथियों ने किया.

संस्था के सुधीर दांडेकर और राजेश शाह ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी खूब अच्छा इंदौरियों ने प्रतिसाद मिल रहा है. जत्रा इस वर्ष भी पूर्णत: जीरो वेस्ट रहेगा. खाने की प्लेट्स, चम्मच, ग्लास सभी कुछ 100% बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से निर्मित कंस्यूमेबल्स का उपयोग किया जा रहा है. जत्रा में गिला कचरा और सूखा कचरा कलेक्शन पॉइंट पर ही सेग्रिगेट किया जाता है. करीब 15 से अधिक कचरा कलेक्शन पॉइंट्स बनाये गए है. गीले कचरे को हाथों हाथ खाद में परिवर्तित कर निगम को दिया जाता है. इतने वृहद सामाजिक आयोजन में जहा एक ही समय मे हजारों लोग एक साथ खाने का लुत्फ उठाते हैं, उसके बावजूद परिसर में सफाई व्यवस्था एकदम चाक चौबंद रही. इस प्रकार के सामाजिक आयोजन में स्वच्छता की सजगता ही इंदौर को एक नम्बर स्थान पर रखने में सहायक रहती है.

लावणी की प्रस्तुति दी

फूड जोन की तृप्ति महाजन और सुमेधा बावकर ने बताया कि सुबह से ही स्वाद प्रेमियों का आना शुरू हो गया था . हर्षवर्धन लिखिते ने बताया कि महाराष्ट्र का प्रसिद्ध दर्शन साटम द्वारा संचालित कला रंजना ग्रुप लावणी की धमाकेदार प्रस्तुति दी गई . दर्शन जागीरदार ने बताया कि परिसर में ही भरपूर पार्किंग की व्यवस्था की गई है . संचालन हर्षवर्धन लिखिते ने किया .

ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के प्रभावित किसानों की सुनवाई

- 6 सौ किसानों की 3 सौ से ज्यादा आपत्ति

इंदौर. आज एमपीआरडीसी न ग्रीन फील्ड कॉरिडोर सड़क के प्रभावित किसानों की सुनवाई की. करीब तीन सौ किसानों ने उनकी जमीन सड़क में जाने को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई थी. खास बात यह है कि इंदौर जिले के 20 से ज्यादा गांव के जमीन उक्त सड़क निर्माण में जा रही है.

शासन की बहुत महत्वाकांक्षी ग्रीन फील्ड कॉरिडोर सड़क को लेकर आज एमपीआरडीसी ने किसानों को आपत्ति पर सुनवाई की. एमपीआरडीसी ने उक्त सुनवाई धारा 15 में दर्ज आपत्तियों के निराकरण के लिए रखी थी. बताया जा रहा है कि आज कई किसानों ने उक्त सड़क का विरोध कर जमीन देने से इंकार भी किया है. आज एमपीआरडीसी अधिकारियों ने इंदौर जिले के 20 गांव के करीब 6 सौ किसानों की 2 सौ हैक्टेयर जमीन पर चर्चा की. उक्त सड़क के लिए 3 से ज्यादा किसानों ने आपत्ति दर्ज करवाई थी, जिसको लेकर आज किसानों से वन टू वन बातचीत की ओर समझाया कि उक्त सड़क निर्माण से गांवों का विकास भी होगा. साथ ही जमीन के कीमतों में वृद्धि होगी.

ध्यान रहे कि शासन ने इंदौर से हातोद, फतियाबाद चिंतामण गणेश होते हुए उज्जैन एक नई सड़क प्रस्तावित की है. उक्त सड़क निर्माण एमपीआरडीसी द्वारा किया जाएगा. उक्त सड़क में करीब 285 हैक्टेयर जमीन की आवश्यकता है. यह सड़क 4 लेन और दो दो लेन सर्विस रोड के साथ बनाई जाएगी. उक्त सड़क पर एक रेलवे ओवर ब्रिज फतियाबाद में बनेगा. ग्रीन फील्ड कॉरिडोर सड़क की लंबाई करीब 48 किलोमीटर है. यह सड़क बन जाने के बाद उज्जैन जाने के लिए नया रास्ता बनेगा, जो ग्रामीण विकास का नया अध्याय साबित हो सकती है.

वाणिज्यिक व मध्यस्थता कानून में जटिलता व नवाचार का मार्गदर्शन पर आज से मंथन

- मुख्यमंत्री डॉ . मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का होगा शुभारंभ
- न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं एवं विधि विद्यार्थियों के लिए दो दिनी अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन

इंदौर. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय और मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी द्वारा डेनिश पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के सहयोग से, इनवाल्विंग होरिजंस: नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड इनोवेटिंग इन कमर्शियल एंड आर्बिट्रेशन ला इन डिजिटल वर्ल्ड (विकासशील क्षितिज- डिजिटल दुनिया में वाणिज्यिक और मध्यस्थता कानून की जटिलता और नवाचार) पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है.

ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर इन्दौर में आयोजित होने वाली दो दिवसीय संगोष्ठी में मध्यप्रदेश के न्यायाधीशों, नामित अधिवक्ताओं एवं विधि विद्यार्थियों के लिए आयोजित है। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्देश्य वाणिज्यिक एवं मध्यस्थता कानून के बदलते डिजिटल परिदृश्य पर सार्थक विचार-विमर्श का एक वैश्विक मंच प्रदान करना है. इस संगोष्ठी का उद्देश्य डिजिटल परिवर्तन, डेटा आधारित अर्थव्यवस्था एवं अंतरराष्ट्रीय लेन-देन से उत्पन्न हो रही नई कानूनी चुनौतियों की समझ को सुदृढ़ करना है. इसका लक्ष्य तकनीकी नवाचार के अनुरूप विधिक ढाँचे के सामंजस्य, संस्थागत क्षमता के सशक्तिकरण एवं भारत तथा यूरोपीय संघ सहित वैश्विक न्यायिक तंत्रों के मध्य सहयोग को प्रोत्साहित करना है. उद्घाटन सत्र 11 अक्टूबर को प्रात: 10 बजे इम्पीरियल हॉल, ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर, इन्दौर में किया जाएगा. संगोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार माहेश्वरी, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति अरविन्द कुमार, सर्वोच्च न्यायालय, भारत विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे. इस अवसर पर न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, मुख्य न्यायाधीश मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल, सुश्री मारिया स्कु, डेप्युटी डायरेक्टर जनरल, डेनिश पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, एरलिंग वेस्टर्गार्ड, विशेषज्ञ सलाहकार, डेनिश पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, मत्तियास कार्लसन डिनेट्ज, सीनियर एडवाइजर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट्स, डेनिश पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, डॉ. क्रिश्चियन बर्गक्रिस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन श्री पेटर पेत्रोव, जज, रीजनल कोर्ट ऑफ डिमिट्रोवग्राद, बुल्गारियाय एवं डॉ. लुइज बोइसन, आई. पी. काउंसलर, रॉयल डेनिश एम्बेसी उपस्थित रहेंगे.

छ : तकनीकी सत्र होंगे

संगोष्ठी के अंतर्गत दो दिनों में छः तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें प्रौद्योगिकी और वाणिज्यिक कानून के विकसित होते आयाम, इंटरनेट मध्यस्थों की देयता एवं दायित्व, ऑनलाइन वाणिज्य में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, भारत एवं यूरोपीय संघ के दृष्टिकोण से मध्यस्थता कानून की रूपरेखा, ऑनलाइन अवैध गतिविधियों का आपराधिक प्रवर्तन, तथा बौद्धिक संपदा एवं नवाचार जैसे समकालीन विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। देश-विदेश के प्रतिष्ठित न्यायविद, विधि विशेषज्ञ एवं नीति सलाहकार इन विषयों पर अपने अनुभव एवं दृष्टिकोण साझा करेंगे. अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन सत्र 12 अक्टूबर को होगा।

ट्रस्ट को नियमानुसार ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करना आवश्यक

- सेमिनार में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की बारिकियां बताई
- टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसो . एवं इंदौर सीए शाखा का आयोजन

इंदौर. टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन (टीपीए) एवं इंदौर सीए शाखा द्वारा पारमार्थिक संस्थाओं द्वारा दाखिल किये जाने वाली ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्म 10बी तथा 10बीबी एवं आईटीआर-7 पर एक सेमिनार का आयोजन शुक्रवार को टीपीए हॉल में किया गया.

सेमिनार में मुख्य वक्ता सीए भगवान अग्रवाल ने कहा कि किसी संस्था या ट्रस्ट जो कि धारा 12ए या 10(23सी) में रजिस्टर्ड है, को नियमानुसार फॉर्म 10बी में ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करना आवश्यक है. इन्हें उचित सावधानी के साथ भरा जाना चाहिए. जरा सी लापरवाही से आयकर नोटिस का सामना करना पड़ सकता है.

नए नियम के अनुसार कुल आय वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ या अधिक हो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्राप्त किया है अथवा देश के बाहर अपनी आय का कुछ भी हिस्सा उपयोग किया हो तो भी फॉर्म 10बी दाखिल करना होगा.

इन फॉर्म्स को 31 अक्टूबर के पहले आयकर पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है. टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के प्रेसीडेंट सीए जेपी सराफ ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से पारमार्थिक संस्थाओं के कराधान पर सरकार की कड़ी नजर है। फर्जी संस्थाएं जो कि गलत छूट का दावा पेश करतीं थीं, इस पर आयकर के नये प्रावधानों ने बहुत कुछ हद तक रोक लगाई है.

समझ सकें बारीकियां

टीपीए के मानद सचिव सीए डॉ. अभय शर्मा ने बताया कि पारमार्थिक संस्थाओं को छूट का दावा करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 10 बी एवं 10 बीबी में अनिवार्यत: दाखिल करना होगी. 46 पृष्ठों का फॉर्म 10बी 10 पृष्ठों का फॉर्म 10बीबी तथा आईटीआर -7 बहुत लेंदी तो है ही, उसके साथ ही बड़ा डिफिकल्ट भी. पहले फॉर्म 10बी सिर्फ 2 पृष्ठ का तथा बड़ा आसान होता था. सदस्य इन दोनों फॉर्म्स की बारीकियों को समझ सकें, इसके लिए इस सेमिनार का आयोजन किया गया. इस अवसर पर सीए शैलेंद्र पोरवाल, सीए राकेश भावसार, सीए अभिषेक गांग, सीए अविनाश खंडेलवाल, सीए उमेश गोयल सहित बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे.

यात्रियों को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने पर दिया जोर

रेलवे स्टेशनों पर 'स्वच्छ आहार दिवस' मनाया

इंदौर. पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल में चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के तहत 9 और 10 अक्टूबर को स्वच्छ आहार दिवस मनाया. इस दौरान मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर खानपान स्टॉलों और रनिंग रूम किचन की जांच की गई. वेंडरों की व्यक्तिगत स्वच्छता, भोजन की गुणवत्ता और सामग्री के उपयोग की स्थिति का परीक्षण किया.

जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीना ने बताया कि रतलाम, उज्जैन, इंदौर, दाहोद, नागदा, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, देवास, लक्ष्मीबाई नगर और डॉ. अंबेडकर नगर सहित मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर खानपान स्टॉलों की गहन जांच की गई. वेंडरों को यात्रियों को स्वच्छ और ताजा भोजन उपलब्ध कराने, खाद्य सामग्री को ढककर रखने तथा एक्सपायरी मसालों के उपयोग से बचने के निर्देश दिए. मीना ने बताया कि रतलाम, उज्जैन, इंदौर, डॉ. अंबेडकर नगर और चित्तौड़गढ़ स्थित रनिंग रूम के किचन में भी विशेष सफाई अभियान चलाया. वहां भोजन की गुणवत्ता, मसालों और उपयोग की जा रही सामग्री की जांच की गई.

निरीक्षण | त्योहारों को देखते हुए दिए सख्त दिशा-निर्देश

अफसरों ने किया राजवाड़ा क्षेत्र का निरीक्षण

इंदौर. त्योहारों के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है. एडिशनल सीपी अमित कुमार सिंह और डीसीपी प्रभारी यातायात आनंद कलादगी ने देर रात राजवाड़ा क्षेत्र का निरीक्षण किया.

इस दौरान अधिकारियों ने बाजार की पार्किंग व्यवस्था और ट्रैफिक नियंत्रण की स्थिति का जायजा लेते हुए मौके पर ही कई आवश्यक निर्देश दिए.

सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान निर्देशित किया कि आगामी दिनों में राजवाड़ा, सराफा, एमजी रोड जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष ट्रैफिक प्रबंधन योजना लागू की जाएगी. इसके तहत अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, वन-वे नियमों का कड़ाई से पालन और ई-रिक्शा व भारी वाहनों के प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश पर पूर्ण रोक लगाई जाएगी. इसके साथ ही व्यापारी संगठनों और बाजार समितियों के साथ समन्वय कर पार्किंग व्यवस्था, पैदल मार्ग और भीड़ नियंत्रण के लिए संयुक्त रूप से काम करने के निर्देश दिए. अधिकारियों ने नगर निगम व स्मार्ट सिटी टीम को भी यह सुनिश्चित करने को कहा कि अस्थायी दुकानें यातायात में बाधा न बनें.

यातायात नियमों का पालन करें ...

पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि नागरिकों को पार्किंग स्थल और यातायात व्यवस्था की जानकारी सार्वजनिक एनाउंसमेंट के माध्यम से दी जाएगी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो . इस दौरान एडिशनल सीपी सिंह ने जोर दिया कि नागरिकों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है और पुलिस का व्यवहार सहयोगपूर्ण व संवेदनशील होना चाहिए . साथ ही आम लोगों से अपील की गई कि वे यातायात नियमों का पालन करें, नो-पार्किंग क्षेत्र में वाहन न खड़े करें और ट्रैफिक पुलिस को सहयोग दें, ताकि त्योहारों के दौरान शहर में यातायात पूरी तरह सुगम और सुरक्षित रह सके .

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	128344615	संपत्ति के बदले ऋण	27.09.2025	6,35,917.49/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. अमृत सिंह सोंधिया 2. नारायण सिंह सोंधिया 3. रतन बाई सोंधिया

संपत्ति का पता: अचल संपत्ति (आवासीय घर) का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका क्षेत्रफल 1033 वर्ग फुट (96 वर्ग मीटर) है, प्लॉट संख्या 13 में समाहित है, खसरा संख्या 15/2 में से, गांव माधोपुरा, फोन नंबर 19, तहसीलः सुठालिया, जिलाः राजगढ़, मध्य प्रदेश राज्य- 465677 में स्थित है, और इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः कमलसिंह पुत्र प्रेमसिंह का घर, पश्चिमः कॉमन रोड, उत्तर: डोलजी पुत्र पुरजी का घर, दक्षिणः रोडजी पुत्र गंगाराम का घर

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	138615114	संपत्ति के बदले ऋण	30.09.2025	6,37,064.54/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. संतोष जांगड़ा 2. अंजू वर्मा

संपत्ति का पताः प्लॉट/मकान का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका कुल माप 25x30 = 750 वर्ग फुट है। यह भूमि खसरा संख्या 273/1/2/1 (नया संख्या 273/1/2/1/1) से निकलती है, फोन नंबर 20 (पुराना नंबर 60), वार्ड संख्या 02, जीन ग्राउंड के पीछे, सुठालिया, जिलाः राजगढ़, मध्य प्रदेश-465677 पर स्थित है और इसकी सीमा इस प्रकार है: पूर्वः शेष भूमि विक्रेता, पश्चिमः बद्रीलाल का मकान, उत्तरः मूलचंद मेहर का मकान, दक्षिणः 12 फीट चौड़ी सड़क

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
3	115996391	होम लोन	27.09.2025	5,99,547.77/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. सूरज सिंह 2. प्रेम बाई

संपत्ति का पता: ग्राम पंचायत पिपल्या खेड़ी हाउस नंबर 18 के कार्यालय में पंजीकृत वह सारा टुकड़ा और पार्सल, जिसका कुल प्लॉट क्षेत्रफल 2712 वर्ग फीट और निर्मित क्षेत्रफल भूतल 2712 वर्ग फीट है, पीएच नंबर 17, खसरा नंबर 148, गांवः पिपलियाखेड़ी, तहसीलः सुठालिया (ब्यावरा), जिलाः राजगढ़, मध्य प्रदेश- 465677 पर स्थित है, और इसकी सीमा इस प्रकार है: पूर्वः फूल सिंह का घर, पश्चिमः रामप्रसाद का घर, उत्तरः सड़क दक्षिणः स्वयं की भूमि

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

दिनांक: 11.10.2025
स्थान: मध्यप्रदेश

कब्जा नोटिस

क्योंकि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड) ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (2) के तहत अधिकारों के पालन में देनदार/ सह-देनदार को नोटिस दी व भावी लागू ब्याज, आकस्मिक व्यय, कॉस्ट, चार्ज आदि भुगतान तथा/ अथवा वसूली की तिथि तक वहन किए गए सहित उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों में उक्त कथित लागू दरों पर ब्याज सहित संबंधित नामों के खिलाफ दर्शायी राशि चुकाने को देनदारों से कहा गया था .

क्र.	लोन नं.	देनदार/सह-देनदार/ गारंटर/बंधक	13 (2) नोटिस तिथि/ बकाया राशि (रु.)	तिथि/समय व कब्जा तिथि
1.	30609630000763 और 30609410001118	1) स्वर्गीय श्री हैदर पुत्र मुबारिक, अब दिवंगत उनके एलआर द्वारा प्रतिनिधित्व श्रीमती शबाना बी पत्नी हैदर 2 . श्रीमती शबाना बी पत्नी हैदर	15 .07 .2025 08 .07 .2025 तक रुपये 20,38,216 .30 (रुपये बीस लाख अड़तीस हजार दो सौ सोलह और पैसे तीस मात्र)	दिनांक 09 .10 .2025 समय शाम 4 .00 बजे प्रतीकात्मक कब्जा
सुरक्षित संपत्तियों का विवरण- आवासीय भवन का वह पूरा टुकड़ा सर्वेक्षण संख्या 802/3/2 पर निर्मित, कुल 0 .0600 हेक्टेयर क्षेत्रफल में से 2800 वर्ग फुट (260 .22 वर्ग मीटर) का कुल क्षेत्रफल, उस पर आरसीसी निर्माण सहित, पी .एच . संख्या 31, सरल संख्या 925, ग्राम पवारदा, तहसील एवं जिला देवास (मध्य प्रदेश) में स्थित . पूर्व में- यूसुफ भाई का प्लॉट, पश्चिम में- कॉमो रोड, उत्तर में- नौशाद भाई का मकान और दक्षिण में- अली पॉल का मकान .				
2.	30609440000242 और 30609410000536	1) श्री जितेंद्र पटेल पुत्र गिरधारीलाल (प्रोप . मेसर्स कृष्णा डेयरी फार्म) 2) श्रीमती भावना बाई पत्नी जितेंद्र	18 .07 .2025 13 .07 .2025 तक रु . 11,74,179 .91 (रु . ग्यारह लाख चौहत्तर हजार एक सौ उन्यासी और पैसे इक्यानवे मात्र)	दिनांक 09 .10 .2025 समय दोपहर 2 .05 बजे प्रतीकात्मक कब्ज़ा
सुरक्षित संपत्तियों का विवरण- व्यपवर्तित भूमि का वह पूरा टुकड़ा जिसमें सर्वेक्षण संख्या 182, कुल 800 वर्ग मीटर भूमि क्षेत्रफल में से 2000 वर्ग फुट (185 .87 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल, निर्माण सहित, ग्राम अवल्या पीपल्या, पी .एच . क्रमांक 73, सरल क्रमांक 890, ग्राम पंचायत आवल्या पीपल्या, तहसील एवं जिला देवास (मध्य प्रदेश) की सीमा के अंतर्गत . पूर्व में- प्रधानमंत्री सड़क, पश्चिम में- रामेश्वर जी की कृषि भूमि, उत्तर में- राधेश्याम जी की कृषि भूमि और दक्षिण में- राहुल पुत्र नानूराम जी की कृषि भूमि .				
3.	45529440000381 और 45529410001477	1) स्वर्गीय श्री मो . रशीद कुरैशी पुत्र शरीफ (प्रो . मेसर्स नूर कलेक्शन) अब दिवंगत, उनकी कानूनी सलाहकार श्रीमती अफसाना कुरैशी पुत्री मो . रशीद द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है 2) श्रीमती अफसाना कुरैशी, पुत्री मो . राशिद	21 .07 .2025 रु . 10,41,657 .30 (रु . दस लाख इकतालीस हजार छह सौ सत्तावन और पैसे तीस मात्र) 13 .07 .2025 तक	दिनांक 09 .10 .2025 समय दोपहर 02 .05 बजे प्रतीकात्मक कब्ज़ा
सुरक्षित संपत्तियों का विवरण- भूखंड संख्या 247 के दक्षिणी भाग में स्थित भूमि का वह समस्त टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 945 वर्ग फुट (87 .82 वर्ग मीटर) है, सर्वेक्षण संख्या 415, 416, 420, 421, 422 और 423 का भाग, 'पार्श्वकुंज' (अहमद नगर) कॉलोनी, ग्राम खजराना, इंदौर शहर, तहसील और जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) में स्थित है . सीमा- पूर्व में- प्लॉट संख्या 240, पश्चिम में- कॉलोनी रोड, उत्तर में- उसी प्लॉट का शेष भाग और दक्षिण में- प्लॉट संख्या 248 .				

जबकि यहां उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता उपरोक्त देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए ऋणी को नोटिस दिया जाता है . ऊपर विशेष रूप से और आम जनता के लिए उल्लेख किया गया है कि अधिकृत जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकारी ने कब्जा ले लिया है . प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति तारीखों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे उपर्युक्त . उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता इसमें ऊपर विशेष रूप से और आम तौर पर जनता को लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है . उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों और उक्त संपत्तियों के साथ किसी भी लेन-देन/ सुरक्षित संपत्तियां जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होंगी .

स्थान: इन्दौर
दिनांक : 11 .10 .2025
हस्ता ./- प्राधिकृत अधिकारी
कृते जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

JANA SMALL FINANCE BANK
(A Scheduled Commercial Bank)

रजिस्टर्ड आफिस : द फेयरवे, ग्राउंड व प्रथम तल, सर्वे नं . 10/1, 11/2 व 12/2 बी, ऑफ डोलमुर, कोरामंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बंगलौर-560071 . **ब्रांच आफिस-** प्लाट नं . 306-ए, पीयू-4, स्कीम नं . 54, कंट्री इन होटल के पास, मेन ए .बी . रोड, विजय नगर, इन्दौर-452010 .